न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1743–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–5–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 4/13–14/अपील.

सीताराम पुत्र लल्लूसिंह
निवासी ग्राम काशीपुर
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

सुच्चासिंह पुत्र रतनसिंह
निवासी ग्राम काशीपुर (सालवई)
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/7/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, डबरा के समक्ष संहिता की धारा 73 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सालवई स्थित भूमि सर्वे कमांक 1597 मिन रकबा 0.199 हेक्टेयर का वह भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन किया जाये । नायब तहसीलदार

द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–3/12–13 दर्ज कर दिनांक 30–5–2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी; डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–8–2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–5–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक सुच्चासिंह द्वारा जिस व्यक्ति से भूमि कय की गई है, उसके द्वारा कथन में यह नहीं बताया जा सका है कि उसने कौन सी भूमि का विकय किया है, विकय पत्र में भी भूमि की दिशाओं का कोई उल्लेख नहीं है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन करने में पूर्णतः अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि बटांकन तैयार करने में तहसील न्यायालय द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि साक्षी नंदनसिंह ने अपने कथन में बताया है कि नहर से लगी भूमि अनावेदक सुच्चासिंह को विकय की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पटवारी द्वारा कथन में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक द्वारा कृषि कार्य करना बताया गया है, जबकि स्वयं अनावेदक ने प्रश्नाधीन भूमि पर डी.पी. लगी होने संबंधी कथन किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि दोनों कथनों में विरोधाभास होने से पटवारी का कथन महत्वहीन है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में यह नहीं बताया गया है कि अनावेदक द्वारा कौन सी जमीन कय की गई है । इस आधार पर गया कि तहसील न्यायालय के अवैध आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा केवल कब्जे के आधार पर पारित तहसील न्यायालय के अवैधानिक

आदेश की पुष्टि करने में पूर्णतः विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, क्योंकि जब तक प्रश्नाधीन भूमि का सत्यापन नहीं कर लिया जाता है कि वास्तव में अनावेदक सुच्चासिंह की भूमि कौन सी है, तब तक प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन करना अन्यायपूर्ण एवं अवैधानिक कार्यवाही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी द्वारा सर्वे नम्बर 1597 में से रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा आवेदक को विक्रय किया गया है, और सर्वे नम्बर 1599 अनावेदक का है। इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बटांकन में सर्वे नम्बर 1598 के भाग को 1597 में शामिल कर लिया गया है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, वे अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः इस स्तर पर उन पर विचार नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक की नहीं है, इसका प्रमाण भार आवेदक पर था, परन्तु उसके द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि जो भूमि बटांकन में अनावेदक को प्राप्त हुई है, वह उसके स्वामित्व की नहीं है । यह भी कहा गया कि विक्रेता द्वारा भूमि विक्रय कर अनावेदक को कब्जा दे दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटांकन कब्जे के आधार पर किया गया है, जो कि पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा विक्रेता के कथन में उल्लिखित भूमि एवं विक्रय पत्र में उल्लिखित भूमि में विरोधाभास होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है, परन्तु उनके द्वारा अपना निष्कर्ष किस स्वतंत्र साक्षी/साक्ष्य के आधार पर किया गया है इसका हवाला अपने आदेश में नहीं दिया गया है । अपर आयुक्त द्वारा आवेदक के विक्रय पत्र का अवलोकन भी आदेश पारित करने में नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण

में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे तहसीलदार के प्रकरण में आई साक्ष्यों का विस्तार से विधि अनुसार विवेचन करें और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेकर प्रकरण का पुनः गुण–दोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए निराकरण हेतु अपर आयुक्त प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर